

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

अधीन अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा, आई०ए०एस०

अपील सं० 154/2017

बुद्धराम पुत्र रामस्वरुप जाति बैरवा निवासी भगलाई तहसील व जिला दौसा ...अपी०

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा ...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा

- उपस्थित :1. श्री राम लाल गोठवाल, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 18.10.2017 को ग्राम भगलाई तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.03 है० किस्म भूमि चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व गुप-1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि मेरे द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं है। अपीलांट द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने में सहमति प्रकट की। प्रकरण का गुणावगुण व शपथ पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

(नरेश कुमार शर्मा) दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

